सं. 34-725/2021-राजस्व
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय/SECRETARIAT
****

श्री विजयपुरम, दिनांक 6 नवम्बर, 2025

प्रारंभिक अधिसूचना

प्रपत्र-II

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुन:स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुन:स्थापन (प्रतिकर, पुनर्वासन, पुन:स्थापन तथा विकास आयोजना) नियमावली, 2018 का नियम 5(1) देखें)

संख्या: 34-725/2021-राजस्व

दिनांक: 06.11.2025

चूंकि समुचित सरकार को यह लगता है कि निकोबार जिला के कैम्पबेल-बे तहसील के **गांधी नगर** गांव तथा **शास्त्री नगर** गांव में सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात; **ग्रेट निकोबार द्वीप पर ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा** परियोजना के लिए कुल **834.6437 हेक्टेयर** भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता है। समाज कल्याण विभाग द्वारा मेसर्स प्रोब रिसर्च एंड सोशल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली के माध्यम से सामाजिक प्रभाव आकलन किया गया और उक्त नियमावली के नियम 4 में प्रावधानित के अनुसार कलेक्टर के द्वारा दिनांक 10.06.2025 के आदेश संख्या 50 के तहत गठित टीम ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की/प्रारम्भिक जांच की और दिनांक 19.09.2025 के पत्र संख्या General-69/EE/CD/CB/2025/2378 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट, विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट तथा समिति की रिपोर्ट की प्रतियां क्रमशः **अनुलग्नक–I, अनुलग्नक-II तथा अनुलग्नक–III** के रूप में संलग्न हैं। सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट/ प्रारंभिक जांच का सारांश इस प्रकार है ।

इस ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास रक्षा, सामरिक, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा है। अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुन:स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 2-(1)-(क) एवं (ख) के अनुसार, इस परियोजना के लिए अधिग्रहित किए जाने वाली भूमि सार्वजनिक प्रयोजन की श्रेणी में आती है।

समिति का यह मानना है कि प्रस्तावित हवाई अड्डा परियोजना, सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह परियोजना न केवल स्थानीय समुदाय, विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगा, बल्कि इससे पूरे राष्ट्र के लिए भी एक व्यापक उद्देश्य की पूर्ति होगी। निकोबार द्वीपसमूह की सामरिक स्थिति और भारत के मुख्य भूभाग के साथ बेहतर संपर्क व्यवस्था, आर्थिक, सामाजिक और रक्षा-संबंधी एकीकरण को सुदृढ़ कर, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास को बल प्रदान करेगा ।

इस भूमि अधिग्रहण के कारण कुल 263 परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। इस विस्थापन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि समिति के निष्कर्षों के अनुसार, उपरोक्त परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण सार्वजनिक प्रयोजन की पूर्ति करता है और विशेषज्ञों, सामाजिक प्रभाव आकलन टीम और सभी संबंधित पक्षकारों द्वारा हवाई अड्डे के निर्माण से संबंधित सभी तकनीकी पहलुओं को देखते हुए और गहन समीक्षा के पश्चात गांधी नगर गांव और शास्त्री नगर गांव को सबसे उपयुक्त स्थल के रूप में चयनित किया है।

प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुन:स्थापन के लिए अधिनियम की धारा 43 के तहत अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के दिनांक 14.11.2017 की अधिसूचना F.No. 34-725/2017-Rev द्वारा **निकोबार जिला के उपायुक्त** को **पुनर्वासन एवं पुन:स्थापन के लिए प्रशासक** के रूप में नियुक्त किया गया है। इस अधिसूचना की प्रति **अनुलग्नक–IV** के रूप में संलग्न है।

अतः यह अधिसूचित किया जाता है कि निकोबार जिले के कैम्पबेल-बे तहसील के **गांधी नगर गांव** और **शास्त्री नगर गांव** में उपरोक्त परियोजना हेतु मानक माप के अनुसार **404.8194 हेक्टेयर भूमि** (जिसमें 2004 की सुनामी के कारण जलमग्न भूमि भी शामिल है) जिसका विस्तृत विवरण **'अनुलग्नक-V-A', 'अनुलग्नक-V-B' तथा 'अनुलग्नक-V-C'** के रूप में संलग्न है, अधिग्रहण की प्रक्रिया में है।

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुन:स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की **धारा 11(1)** के प्रावधानों के साथ पठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 23.06.20217 की अधिसूचना सं. 1197(ई) के तहत सभी संबंधितों के लिए जारी किया जाता है।

कलेक्टर तथा तहसीलदार के कार्यालय में कार्य दिवसों और कार्यालय समय के दौरान इस भूमि के प्लान का निरीक्षण किया जा सकता है।

उक्त अधिनियम की **धारा 12** में प्रावधानित एवं विनिर्दिष्ट अनुसार सरकार, तहसीलदार और उनके राजस्व फील्ड कर्मचारियों को उक्त भूमि में प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने, भूमि का लेवेल मापने, भूमि को खोदने और ऐसे सभी अन्य कार्य करने, जो उनके कर्त्तव्यों के उचित निष्पादन हेतु आवश्यक है, को करने के लिए अधिकृत करते हैं ।

अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से उस भूमि पर कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना कोई लेन-देन (जैसे बिक्री/खरीद आदि) नहीं करेगा और न ही उस भूमि पर कोई लेनदेन कारित करेगा या भारग्रस्ता उत्पन्न नहीं करेगा। इस भूमि अधिग्रहण के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो, तो अधिनियम की धारा 15 में प्रावधानित अनुसार, इच्छुक व्यक्ति इस अधिसूचना जारी होने की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
के आदेश से तथा उनके नाम पर

सहायक सचिव (राजस्व)
अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन